<u>न्यायालयः अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,सागवाडा,जिला डूंगरपुर</u>

पीठासीन अधिकारी– दिनेश कुमार गढवाल,आर जे एस

(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

विविध दाण्डिक प्रकरण संख्या– 197/2022 (सी.आई.एस.नं. 197/2022)

1– ईश्वर पिता खातरा उम्र 32 वर्ष

2– शिवा उर्फ शिवराम पिता मोगा उम्र 45 वर्ष

निवासीयान घोटाद, तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर, राजस्थान।

..... प्रार्थीगण–अभियुक्तगण

(माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी.क्रिमिनल मिसलेनियस अपील नं 376/2018 में पारित आदेश दिनांक 04.07.2018 की पालना में अभियुक्त की जाति अंकित नहीं की गई है)

बनाम

राज्य सरकार जरिये अपर लोक अभियोजक सागवाडा, जिला डूंरगपुर

.....विपक्षी–अभियोगी

<u>प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–439 दण्ड प्रक्रिया संहिता</u>

बाबत एफ.आई. आर. संख्या 116/2022 पुलिस थाना सागवाडा
अन्तर्गत धारा– 302 भादंसं
सेशन प्रकरण संख्या 37/2022, सरकार बनाम शंकर वगैरह

उपस्थितिः–

1. श्री मयंक दोसी, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री आजाद शाह–विद्वान अपर लोक अभियोजक,राज्य की ओर से।

:: आदेश :: दिनांक 12.08.2022

1. प्रार्थी–अभियुक्त ईश्वर वगैरह की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 08.08.2022 को पेश किया, जिसकी नकल विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई। प्रार्थना विविध फौजदारी दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्तगण बेगुनाह है, सजाये साबका नहीं है। मुलजिमान को इस प्रकरण में झूठा फसाया गया है। प्रार्थीया श्रीमति शारदा वगैरह पर मुलजिम संख्या 1 ने अपने पुत्र सुनील की हत्या बाबत पुलिस थाना सागवाडा की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 13/21 में शंका व्यक्त की थी। इस कारण इस मामले का फरियादी पक्ष मुलजिम श्रीमति गीता को भी जान से मार देना चाहता था। इसी बात को लेकर दिनांक 21.04.22 को जब श्रीमति गीता अपने भाई धना व उसकी पुत्री अनिता एवं मनीषा को गांव के हनुमान मंदिर के पास छोडने गई तो फरियादी पक्ष के लोगों ने उस पर हमला कर उसके साथ मारपीट की। जिससे मुलजिमा गीता बेहोश हो गई। उसके बाद छुडाने

आये अन्य लोगों के साथ भी फरियादी पक्ष ने पत्थर मारकर मारपीट की। इस बात की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 151/2022 पुलिस थाना सागवाडा में दर्ज कराई गई है। श्रीमति गीता के पुत्र विनोद का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। उसकी माता के साथ फरियादी पक्ष ने मारपीट की। वह अपनी माता के ईलाज हेतु अस्पताल लेकर गया था। दिगर मुलजिमान राहुल व धनेश्वर, श्रीमति गीता के रिश्तेदार होने से उन्हें झूठा फंसाया गया है। मुलजिमान को साजिश के तहत इस सारे मामले में फसाया गया है। इस सारे प्रकरण में पुलिस ने सिर्फ कयास के आधार पर मुलजिमान का नाम जोडा है, जबकि मुलजिमान के द्वारा किसी प्रकार की हत्या का जुर्म कारित नहीं किया गया है। प्रकरण के ट्रायल में लंबा समय लगेगा। मुलजिमान जमानत के संबंध में समस्त आदेशों की पालना करेंगे। उक्त मामले में सहअभियुक्त श्रीमति गीता व श्रीमति चम्पा की जमानत का प्रार्थना पत्र माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिनांक 01.08.2022 को स्वीकार किया गया है। मुलजिमान का मामला उनसे भिन्न नहीं है। अंततः जमानत का लाभ दिया जाने का निवेदन किया।

3. प्रार्थना पत्र पर दौराने मौखिक बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने प्रार्थना में लिखित तथ्यों को ही पुनः दोहराते हुए तर्क दिया कि प्रकरण में सहअभियुक्तगण श्रीमति गीता व श्रीमति चंपा की जमानत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एस.बी.क्रिमि.मिस.बेल एप्लीकेशन नंबर 10106/2022 दिनांक 01.08.2022 द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। विद्वान अधिवक्ता मुलजिमान ने भी यह तर्क दिया है कि इन अभियुक्तगण श्रीमति गीता व श्रीमति चंपा से प्रार्थीगण/मुलजिमान ईश्वर व शिवा उर्फ शिवराम का प्रकरण भिन्न नहीं है और जो मृतक के सिर पर लकडी से चोट मारना बताया गया है, वह चोट होमजी नाम मुलजिम द्वारा मारी गई है, न कि इन प्रार्थीगण/मुलजिमान द्वारा। और वह लठ् भी मुलजिम होमजी से बरामद हुआ है और गवाह शारदा व अन्य गवाहन के बयानों से भी मुलजिम होमजी द्वारा ही लठ् मारना बताया गया है। और जो मौका तस्दीक इन प्रार्थीगण/मुलजिमान द्वारा करवाई जाना बताया गया है, इसमें भी इन मुलजिमान/प्रार्थीगण का कोई विशेष रोल नहीं है और ना ही लठ् से चोटे पहुंचाई जाने बाबत है। हस्तगत प्रार्थीगण/मुलजिमान का प्रकरण सहअभियुक्त श्रीमति गीता व श्रीमति चंपा के प्रकरण की प्रकृति से भिन्न नहीं है और उनकी जमानत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। अंततः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत एस.बी.क्रिमि.मिस. बेल एप्लीकेशन नंबर 861/2021 दिनांक 25.01.2021, खेतसिंह वगैरह बनाम स्टेट में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसरण में इन मुलजिमान को भी जमानत का लाभ

दिये जाने का निवेदन किया। इसके विपरित विद्वान अपर लोक अभियोजक ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया

5. सुना गया। बहस में रखे गये तथ्यों पर मनन किया गया एवं सेशन पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. हस्तगत प्रकरण में मुलजिमान के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 147,148,336,452,302,323,427/149 के तहत आरोप पत्र दिनांक 06.07.2022 को विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सागवाडा के समक्ष पेश हुआ। मुल्जिमान क्रमशः दिनांक 25.04.2022 एवं दिनांक 26.04.2022 से अभिरक्षा में है। तत्पश्चात् प्रकरण कमिट होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने पर दिनांक 19.07.22 को दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में सहअभियुक्तगण श्रीमति गीता व श्रीमति चंपा की जमानत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एस.बी.क्रिमि.मिस.बेल एप्लीकेशन नंबर 10106/2022 दिनांक 01.08.22 द्वारा स्वीकार की गई, आदेश की प्रति मूल पत्रावली में संलग्न है। जो मुख्य रूप से इस आधार पर स्वीकार की गई है कि मृतक के सिर पर जो चोटे आयी है, वह इन अभियुक्तगण द्वारा नहीं पहुंचाई गई है। इसलिए प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुये जमानत स्वीकार की गई थी। विद्वान अधिवक्ता मुलजिमान ने भी यही तर्क दिया है कि इन अभियुक्तगण श्रीमति गीता व श्रीमति चंपा से प्रार्थीगण/मुलजिमान ईश्वर व शिवा उर्फ शिवराम का प्रकरण भिन्न नहीं है और जो मृतक के सिर पर लकडी से चोट मारना बताया गया है, वह होमजी नाम मुलजिम द्वारा मारी गई है, न कि इन प्रार्थीगण/मुलजिमान द्वारा। सेशन पत्रावली का अवलोकन करने से भी यह जाहिर हुआ है कि जो चोट मृतक रवीया के सिर पर मारी गई है, वह मुलजिम होमजी द्वारा मुख्य रूप से लठ् द्वारा मारी गई है और वह लठ् भी मुलजिम होमजी से बरामद हुआ है। इस प्रकार हस्तगत प्रार्थीगण/मुलजिमान का प्रकरण सहअभियुक्त श्रीमति गीता व श्रीमति चंपा के प्रकरण की प्रकृति से भिन्न नहीं है और उनकी जमानत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है और विद्वान अधिवक्ता मुलजिमान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत खेतसिंह बनाम स्टेट का भी ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। जिससे भी इन प्रार्थीगण/मुलजिमान को मदद प्राप्त होती है। अतः हस्तगत प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों को देखते हुये प्रकरण के गुणावगुण पर टिप्पणी किए बिना एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत खेतसिंह बनाम स्टेट में दिये गये दिशा निर्देशों के

अनुसरण में प्रार्थीगण–अभियुक्तगण को जमानत की सुविधा का लाभ दिया जाना उचित समझता हूँ।

:: आदेश::

6. फलस्वरूप प्रार्थीगण–अभियुक्तगण ईश्वर पिता खातरा उम्र 32 वर्ष व शिवा उर्फ शिवराम पिता मोगा उम्र 45 वर्ष निवासीयान घोटाद, तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर, राजस्थान। **की ओर से प्रस्तुत** जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक उक्त अभियुक्तगण प्रकरण की प्रत्येक सुनवाईयों पर उपस्थित रहने बाबत **पचास–पचास हजार रूपये की दो जमानतें व 1,00,000/– रूपये की राशि का स्वयं का मुचलका** पेश कर तस्दीक करादे तो उन्हें इस प्रकरण में अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

--sd--
(दिनेश कुमार गढवाल)

7. आदेश आज दिनांक 12.08.2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

--sd--
(दिनेश कुमार गढवाल)